न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 109 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

बाबुलाल पुत्र राजुराम उम्र 48 वर्ष जाति जाट निवासी रामदेरिया तला (खड़ीन) तहसील रामसर जिला बाड़मेर	1. बंकाराम पुत्र प्रहलादराम 2. अमराराम पुत्र अणदाराम 3. मुलाराम पुत्र अणदाराम का.मु. 3/1श्रीमती चनणी देवी पत्नी मुलाराम 3/2कुम्भसिंह पुत्र मुलाराम 3/3देवीसिंह पुत्र मुलाराम 4. अचलाराम पुत्र राजुराम 5. पुनमाराम पुत्र राजुराम 6. भगाराम पुत्र राजुराम जाति जाट निवासी रामदेरिया तला (खड़ीन) तहसील रामसर जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 08/2021 व 09/2021 बअनवान बांकाराम बनाम अचलाराम व बाबुलाल बनाम बांकाराम में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.05.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भंवरलाल चौधरी अपीलान्ट की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

2. वकील श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3/3 व 5 से 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—11.12.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस व उतरदाता संख्या 01 से 06 के संयुक्त खातेदारी का पुश्तैनी खेत ग्राम राजीव नगर में खेत खसरा संख्या 567 रकबा 2.6062 हैक्टयर व राजस्व ग्राम रामदेरिया तला में खेत खसरा संख्या 557 रकबा 0.0890 हैक्टयर गैर मुमकिन टांका खेत खसरा संख्या 552 रकबा 0.0890 हैक्टयर गैर मुमकिन ढाणी, खेत खसरा संख्या 553 रकबा 10.5785 हैक्टयर के आये हुए है जिसमें 1/4 हिस्सा अपीलांट व रेस्पोडेंटस संख्या 04 से 06 का है, 1/4 हिस्सा रेस्पोडेंटस संख्या 03 का हैं, मौके पर अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त बाहमी तौर से पूर्व में किये गये बंटवाड़ा के अनुसार है जो इस अपील के साथ पेश परिशिष्ट "अ" बाहमी तौर से बंटवाड़ा पेश किया गया है। दो अलग अलग राजस्व वाद संख्या 08/2021 बांकाराम बनाम अचलाराम व राजस्व वाद संख्या 09/2021 बाबुलाल बनाम बांकाराम पेश किये गये। इन दोनों वादों की अधीनस्थ न्यायालय ने समेकित करने का फैसला सुनाया गया है। इस कारण इन दोनों दावों के निर्णय के विरूद्ध यह संयुक्त रूप से अपील पेश की जा रही है। अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 01 के द्वारा वाद पत्र पेश कर न्यायालय से यह निवेदन किया गया था कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 01 से 06 के अपने अपने हिस्से घोषित किये जाकर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड के सिद्धांत पर किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी किये बिना तहसीलदार रामसर से पत्रांक भू.अ. 2021/ 10.12.2021 द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया, जिस पर अपीलांटस की असहमति प्रकट करने पर दुबारा तहसीलदार रामसर से पत्रांक राजस्व/2024/ 12.04.2024 की मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रस्ताव मंगवाया गया दोनों विभाजन प्रस्ताव एक समान रूप से आने पर अपीलांट द्वारा दिनांक 15.04.2024 को एक प्रार्थना–पत्र पेश कर एतराज जताया गया। तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवार व आर आई से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कहा गया जिस पर हल्का पटवारी व आर आई ने उतरदाता के साथ मिलीभगत करते हुऐ मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहामी बंटवाडे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 01 से 06 के अपने अपने हिस्से घोषित किये जाकर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड के सिद्धांत पर किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी किये बिना तहसीलदार रामसर से पत्रांक भू.अ. 2021/ 10.12.2021 द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया, जिस पर अपीलांटस की असहमति प्रकट करने पर दुबारा तहसीलदार रामसर से पत्रांक राजस्व/2024/ 12.04.2024 की मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया दोनों विभाजन प्रस्ताव एक समान रूप से आने पर अपीलांट द्वारा दिनांक 15.04.2024 को एक प्रार्थना–पत्र पेश कर एतराज जताया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी किये बिना तहसीलदार रामसर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार रामसर द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त के विपरीत तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को विना पूर्व सूचना के हल्का पटवारी व आर आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण के हस्ताक्षर या अगुंष्ठ निशान नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलांटस व उतरदाता संख्या 04 से 06 को सड़क पर 1/4 हिस्से में आने वाली पूरी जमीन दी जाना आवश्यक है सड़क पर जमीन किमती है राजस्व नियमों की भी यही मंशा है कि अच्छी, खराब व किमती जमीन का समान रूप से बंटवाड़ा किया जाना चाहिए है। अपीलांट के द्वारा इस अपील के साथ मौके पर वर्तमान कब्जा काश्त के अनुसार परिशिष्ट "अ" जो पेश किया गया हैं उसके अनुसार बंटवाड़ा किया जाना चाहिए था परन्तु विभाजन प्रस्ताव अपीलांट को नुकसान पहुंचाने की नियत से एकतरफा व गलत बना कर पेश किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार रामसर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि मूल वाद अपीलांटगण की तरफ से ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अपीलांटस एक है तथा 1/16 हिस्से का खातेदार है उसको 1/16 हिस्से तक ही बात करने का अधिकार है। उभयपक्ष ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.04.2021 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव जारी करने हेतु सहमति जताई इसलिए विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 में प्रारम्भिक डिक्री जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। सभी भाईयों में से तीन भाईयों ने अपना वकलातनामा रेस्पोडेंटस के अधिवक्ता को दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी का सदभावी रिकॉर्डेड खातेदार है। हिस्सों को लेकर अपीलांटगण द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि तहसीलदार रामसर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व समस्त पक्षकारों को सूचना दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षकारों के साथ न्याय करके अंतिम डिक्री विधिवत रूप से पारित की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अपीलांटस द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद में अपीलांटगण स्वयं वादी है। उभयपक्षकारान की सहमति से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। इसलिए

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्राथमिक डिक्री जारी करने की आवश्यकता नहीं है। अपीलांटगण को हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। अपीलांटस एकेला ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को चुनौति दे रहा है जबकि उसके भाई बंटवारे से सहमत है। अपीलांटस द्वारा पेश वाद में तामील ही नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। तहसीलदार रामसर द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश करने से उभयपक्षकारान को मौके पर उपस्थित रहने हेतु सूचना दी गई। उपर्युक्त विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणीयां टांके, पशु बाड़े, भूमि के उपजाऊपन, अनुसार वाई बिटस एण्ड बाउडस अनुसार, बहिस्सा अनुसार मौका अनुसार मौके पर खातेदारान के रूबरू किया गया। अपीलांटस द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर बार बार आपति जताई गई अंतिम बार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 01.05.2024 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार रामसर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांटगण की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिहाजा अपील अपीलांटगण सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 08/2021 व 09/2021 बअनवान बांकाराम बनाम अचलाराम व बाबुलाल बनाम बांकाराम में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.05.2024 को यथावत रखा जाता है।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर